न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 77 सन् 2010
पंजीयन दिनांक 25.06.2010

भंवरसिंह पिता भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी कालाकोट तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्ट

विरूद्व

1. भगवतसिंह पिता उग्र सिंह जाति राजपूत मृतक के बजाय–
   1. रूकमण कुंवर बेवा भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   2. रितुराज सिह पिता भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. सूर्यभान सिंह पिता भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. फतेह सिंह पिता भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी
प्रकरण संख्या 220/2009 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.11.2009

उपस्थित– 1. सुरेन्द्र कुमार ओझा–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. छोगालाल जाट –रेस्पोडेन्ट–3
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 4

निर्णय **दिनांक 07.01.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा कालाकोट तहसील छोटीसादडी के आराजी नम्बर 2,3,4,5,6,7,8,9,10 कुल किता 9 रकबा 17.93 हैक्टैयर अपीलान्ट वादी व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी फतेहसिंह ने अपना हिस्सा वादी को

विक्रय कर दिया है। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्टण प्रतिवादीगण अपनी पैतृक जमीन से बेदखल करना चाहते है। वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलान्ट वादी का 2/3 हिस्सा घोषित फरमाया जावे। एवं वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट वादी एवं रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डस का बंटवाडा करते हुए अपीलान्ट का हिस्सा पृथक खाते मे दर्ज करवाया जावे व रेस्पोडेन्टगण को अपीलान्ट वादी के हिस्से मे बाधा उत्पन्न नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा मे प्रस्तुत हुआ जो उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से स्थानान्तरित होकर विचारण न्यायालय को प्राप्त होने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्तागण उपस्थित हुए। जवाब हेतु अवसर चाहा। तत्पश्चात् दिनांक 10.06.2019 की तारीख पेशी पर रेस्पोडेन्टगण व रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता उपस्थित नही होने से रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर अपीलान्ट की साक्ष्य व सबूत लिवाई जाकर अपीलान्ट वादी का वादपत्र आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर अपीलान्ट वादी का 1/5 हक व हिस्से की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2009 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की है, जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की व उक्त पत्रावली को वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2009 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से दिनांक 25.06.2010 को म्याद बाहर अपील पेश की। जिसके लिये अपीलान्ट ने धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत किया गया जो उचित होने से इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि विवादित सम्पत्ति पैतृक है। व अपीलान्ट के पिता भगवत सिंह ने अपने जीवनकाल मे अपने तीनो पुत्रो मे बंटवाडा कर दिया। व रेस्पोडेन्ट फतेहसिंह ने अपना 1/3 हिस्सा अपीलान्ट को विक्रय किया है। इसका कोई खण्डन कोई साक्ष्य मे नही होते हुए भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का दावा आंशिक डिक्री किया है। अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को सही ढंग से विश्लेषित नही किया। अपीलान्ट का जन्म से अधिकार है। इस तथ्य को अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने नही मानकर अपने अधिकारो का दुरूपयोग कर आंशिक दावा डिक्री किया है। विवादग्रस्त भूमि पर

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

अपीलान्ट का कब्जा है। रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नही है। जिससे अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट वादी का पूर्ण वाद डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान की पैतृक होना मानते हुए व मूल पुरूष भगवतसिंह के 5 वारिस होना मानते हुए वादग्रस्त आराजीयात का अपीलान्ट वादी का 1/5 हक व हिस्से से जो दावा डिक्री किया है वह पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलान्ट की अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्रो को न्यायोचित होना बताते हुए अपीलान्ट की अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्धवान अधिक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मौजा कालाकोट तहसील छोटी सादडी की जमाबन्दी प्रदर्श–1 भगवतसिंह पिता उग्रसिंह राजपूत साकिन मण्डावली के खाते मे दर्ज रिकार्ड है व भगवतसिंह का दिनांक 18.05.2009 को स्वर्गवास हो चुका है। व भगवतसिंह के 3 पुत्र, पुत्री व पत्नि वैध वारिस है। अपीलान्ट वादी का यह कथन कि फतेहसिंह ने अपना हिस्सा अपीलान्ट वादी को विक्रय कर दिया। ऐसा कोई दस्तावेज विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वादपत्र आंशिक रूप से डिक्री किये जाने मे किसी प्रकार की अवैधानिकता या अनियमितता पाया जाना प्रतीत नही होता है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2009 मे हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी प्रकरण संख्या 220/2009 निर्णय व डिकी दिनांक 11.11.2009 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु लोटायी जावे ।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ़

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

अपील सं. 77/2010 /डिक्री

श्री भंवरसिंह पिता भगवतसिंह राजपूत निवासी कालाकोट तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ — बनाम — (1) श्री भगवतसिंह पिता उग्रसिंह राजपूत मृतक के वजाय —
1/1 रुकमण कुंवर बेवा भगवतसिंह राजपूत निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
1/2 रितुराज सिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
(2) सूर्यभान सिंह पिता भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
(3) फतेह सिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट –रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी दि. 11-11-2009 प्रकरण सं. 220/2009 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 07-1-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री शोभालाल जाट रेस्पो. 3 प्रकाशचन्द्र स्वर्णकार राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 4 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –

अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी प्रकरण संख्या 220/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 11-11-2009 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ...—... रुपये हैं, ...—... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ...—... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 07-1-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 07-1-2022 अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. ……………. रू. पर प्लीडर की फीस		4. ……………. रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.